न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 233 / 2015

उनवान

1. मोहन लाल पुत्र भैरू लाल गुर्जर निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. देवा पुत्र भैरू लाल गुर्जर निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. गोपाल पुत्र मोहन लाल गुर्जर निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. प्रभू लाल पिता मोहन भील निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 57 / 2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.6.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 23.12.2019

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलिया में वादी की खातेदारी कब्जेसुदा आराजी नम्बर 1044/978 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा , 1045/978 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा , आराजी नम्बर 1046/978 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। जिस पर अन्य किसी का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त खातेदारी व कब्जेसुदा आराजी पर अप्रेल 2011 में जबरन अनाधिकार प्रवेश करना प्रारभ कर शनैः शनैः समस्त आराजी पर अपने भुजबल व पाश्विक बल के आधार पर कब्जा कर लिया । वादी द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम अपनी आराजियात की पत्थरगढी करा लो। हमारा कब्जा नाजायज निकला तो हम कब्जा हटा लेंगे। इस पर वादी नेदिनांक 4.6.2011 को वादी ने अपनी वादग्रस्त आराजियात की पत्थरगढी कराई तो वादी की वादग्रस्त समस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया जिस पर प्रतिवादीगण को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।

2. दिनांक 15.6.2011 कोवादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कब्जा छोडने से इंकार हो गये व लडाई झगडा करने लग गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। अतः प्रतिवादीगण को वादी की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1044/978 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा , 1045/978 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा , आराजी नम्बर 1046/978 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 रकबा 15 बीघा 02 से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा वाद पत्र पेश करने से

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कब्जा दिलाये जाने तक लगान का 50 गुना मुआवजा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया एवं तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में 183 बी के तहत कार्यवाही करे। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट ने अपनी क्रयसुदा कृषि भूमि पर अपीलाण्ट् की बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया था । मूल रूप से रेस्पोडेण्ट ने पूर्व खातेदार हीरा पुत्र देबी भील निवासी बुधपुरा से भूमि क्रय की थी उसे इस भूमि का आवंटन हुआ किन्तु उसका उक्त भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। आवंटन के बाद से ही आवंटी गांव छोडकर दूसरे गांव बुधपुरा में निवास कर रहा है। उसके द्वारा कभी भी उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है। अपीाण्ट्स का पूर्व से ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। उसके द्वारा लागत लगाकर कृषि कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा उक्त तथाकथित आवंटन की पत्रावली को तलाश किया गया परन्तु इससे संबंधित कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। जिला कलक्टर, भीलवाडा के रेकार्ड रूम में उस वर्ष 1975 की

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सभी आवंटन पत्रावलियॉ उपलब्ध है लेकिन आवंटी हीरा भील के नाम की कोई भी पत्रावली नही मिली है। केवल आवंटन रजिस्टर की सूची में हीरा पुत्र देबी भील का नाम दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के यहॉ भी पत्रावली की प्रतियॉ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था परन्तु वहॉ से भी कोई पत्रावलियॉ उपलब्ध नहीं हुई जिससे ज्ञात होता है कि ऐसा आवंटन हुआ ही नही केवल आवंटन सूची में नाम दर्ज होने से आवंटन नहीं माना जा सकता है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटी हीरा पुत्र देबी भील आवंटन के समय से अथवा उसके पश्चात कभी भी आरोली में नही रहा न उसका कब्जा भूमि पर कभी रहा है। आवंटी हीरा भील ने गलत तथ्य बताकर फर्जी तौर पर आवंटन करवाया है। बाद में अपीलाण्ट के कब्जे व काश्त को आधार बनाकर पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट दिये जाने पर कि हीरा भील का जरिये काश्त के कब्ज होने की पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट बनावा कर खातेदारी दिलवा दी । इस प्रकार फर्जी कार्यवाही के बिना वैध आवंटन के गैर खातेदारी से भूमि खातेदारी में दर्ज हुई। जिसे बाद में रेस्पोडेण्ट ने क्रय कर लिया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त था इसभूमि पर एक चाह भी अपीलाण्ट के पिता भैरू लाल जी ने खुदवाया ववादग्रस्त भूमि पर पत्थरों की दीवार भी 30–35 वर्ष पूर्व लगाई थी वह आज भी मौके पर मौजूद है तथा आज दिनांक तक न तो हीरा भील का और न ही रेस्पोडेण्ट का कब्जा रहा है। गत 40 वर्ष से अपीलार्थी के पिता एवं उसके बाद में अपीलाण्ट् का कब्जा चला आ रहा है। इसकी जानकारी हीरा भील व रेस्पोडेण्ट को है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इन तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, शीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट ने अपने कब्जे बाबत कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा दिये गये जवाब के आधार पर सीधे तौर पर वाद को खारिज करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने मार्गदर्शन का उल्लेख निर्णय में कर दिया कि तहसीलदार बिजौलिया अपीलाण्ट के विरूद्ध 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करे। ऐसा मार्गदर्शन दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को तहसीलदार के समक्ष धारा 183 बी के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पोषणीय ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार बिजौलियॉ ने अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही आरंभ कर दी है। अपीलाधीन आदेश वैधानिक नहीं है इसलिए खारिज योग्य है। अत:निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आंशिक डिकी दिनांक 17.6.2015 को निरस्त किया जावे एवं निर्णय वडिकी में तहसीलदार को दिये गये निर्देश हटाया जाने की सीमा तक संशोधन कराया जावे ।

9. हमनें प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलिया में वादी की खातेदारी कब्जेसुदा आराजी नम्बर 1044/978 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा , 1045/978

(कैलाश चन्द्र ...)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा , आराजी नम्बर 1046/978 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। जिस पर अन्य किसी का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त खातेदारी व कब्जेसुदा आराजी पर अप्रेल 2011 में जबरन अनाधिकार प्रवेश करना प्रारभ कर शनैः शनैः समस्त आराजी पर अपने भुजबल व पाश्विक बल के आधार पर कब्जा कर लिया । वादी द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम अपनी आराजियात की पत्थरगढी करा लो। हमारा कब्जा नाजायज निकला तो हम कब्जा हटा लेंगे। इस पर वादी नेदिनांक 4.6.2011 को वादी ने अपनी वादग्रस्त आराजियात की पत्थरगढी कराई तो वादी की वादग्रस्त समस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया । अतः प्रतिवादीगण को वादी की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1044/978 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा , 1045/978 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा , आराजी नम्बर 1046/978 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 रकबा 15 बीघा 02 से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे ।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी जो कि भील जाती का होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य सवर्ण जाति के सदस्य द्वारा स्वयं की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की स्थिति में अपने खातेदारी अधिकार की भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी, संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

11. धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सवर्ण व्यक्ति द्वारा स्वयं के खातेदारी अधिकार की कृषि

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा जबरन अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

12. अपीलाधीन प्रकरण मे प्रत्यर्थी/वादी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संबंधित तहसीलदार के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पोषणीय नहीं होने के बावजूद वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का अंकन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में करते हुए वाद पत्र को खारिज किया है। परन्तु अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार बिजौलिया को प्रकरण में 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया है। साथ ही डिक्री पारित की है। जबकि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पोषणीय नहीं होने के आधार पर वाद पत्र खारिज करते हुए प्रत्यर्थी/वादी को निर्देश दिये जाने चाहिये था कि प्रत्यर्थी/वादी सक्षम न्यायालय में दाद हेतु प्रार्थना पत्र विहित धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्देश नहीं देकर सीधे ही तहसीलदार बिजौलिया को 183 बी के तहत कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया है। जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अपीलार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को दिये गये निर्देश की पालना में तहसीलदार बिजौलिया द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। तहसीलदार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र को दर्ज किये अपीलार्थी के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.5.2015 में वाद पत्र खारिज किये जाने तक की डिक्री

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

को यथावत रखा जाता है परन्तु "**तहसीलदार बिजौलिया 183 बी के तहत कार्यवाही करे।**" इस आदेश को निरस्त किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार बिजौलिया के समक्ष धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधिवत अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रत्यर्थी / वादी स्वतंत्र है।

14. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा